

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:-दिव्या RAS

प्रकरण संख्या:-389 / 2021

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 53, 88, 188 आर.टी.ए.

यादवेन्द्र सिंह पुत्र पटेल सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील हनुमानगढ हाल
आबाद 14414 Brorad Vingdr Ginsville VA 20155 5932 USA

- वादी

बनाम्

1. हरपाल कौर पत्नी पटेल सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील हनुमानगढ हाल
आबाद 7225 winnipeg CT Gainesville VA 20155 5932 USA
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र पटेल सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील हनुमानगढ हाल
आबाद 7225 winnipeg CT Gainesville VA 20155 5932 USA
3. प्रिंसकौर पुत्री पटेल सिंह पत्नी अरमिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी किलयांवाली
तहसील अबोहर जिला फाजिल्का
4. गुरवीर सिंह पुत्र यादवेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील हनुमानगढ हाल
आबाद 14414 Brorad Vingdr Ginsville VA 20155 5932 USA
5. मनदीप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील हनुमानगढ हाल
आबाद 7225 winnipeg CT Gainesville VA 20155 5932 USA
6. कर्णवीर सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील व जिला
हनुमानगढ ।
7. केसर बाई पत्नी दयालचंद जाति राजपूत निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ ।
8. कालाराम उर्फ रवि कुमार पुत्र रेमलराम जाति राजपूत निवासी नवां तहसील व जिला
हनुमानगढ ।
9. काली पत्नी संतोष कुमार पुत्री रेमलराम जाति राजपूत निवासी 3 जेजे तहसील
पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर
10. खेमचंद पुत्र रेमल जाति राजपूत निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ ।
11. बंती पत्नी चन्द्रभान जाति राजपूत निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ ।
12. महेन्द्र पुत्र रेमल जाति राजपूत निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ ।
13. राधादेवी पत्नी महावीर पुत्री रेमलराम जाति राजपूत निवासी वार्ड39 हनुमानगढ जंक्शन
14. रानीबाई पुत्री रेमलराम जाति राजपूत निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ ।
15. सुखदेव सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील व जिला
हनुमानगढ ।
16. समारीदेवी पुत्री रेमलराम जाति राजपूत निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ ।
17. संतोष पुत्र रेमलराम जाति राजपूत निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ ।
18. ओबीसी बैंक शाखा हनुमानगढ बस स्टैंड
19. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ ।

- प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग - अधिवक्ता वादी
2. श्री कुलदीप सिंह सरां प्रतिवादी सं. 1, 2, 5
3. श्री भीम खिलेरी प्रतिवादी सं. 4
4. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 19

—:निर्णय:—

दिनांक

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1,
2, 4, 5 के नाम चक 2 आरआरडब्ल्यू खाता सं. 205/192 में पुत्र वादी के नाम

13183/88125 प्रतिवादी सं. 1 के नाम 13183/18125 व प्रतिवादी सं. 2 के नाम 13183/18125 प्रतिवादी सं. 4 के नाम 8096/29375 व प्रतिवादी सं. 5 के नाम 13183/18125 कुल 29.375 है. मय गै.मु. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी प्रकार चक 2 आरआरडब्ल्यू खाता सं. 106/71 में दर्ज 4.807 है. भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 3/19 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी प्रकार चक 2 आरआरडब्ल्यू खाता सं. 206/191 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 2.783 है. मय गै.मु. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदिया संलग्न वाद पत्र है।

यह है कि उक्त भूमि मुझ वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम चक 2 आर आर डब्ल्यू खाता सं. 205/192 में दर्ज भूमि पूर्व में वादी के पिता स्व. पटेल सिंह की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम औद हुई तथा इसी चक के खाता सं. 106/71 व खाता सं. 206/191 में वर्णित प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि विरास्तन भूमि जो हिंदू संयुक्त परिवार की है में हम दोनों भाईयों की संयुक्त आमदनी से अपनी माता के नाम खरीद की हुई है। चूंकि अर्जीदावा में वर्णित प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित भूमि पैतृक व संयुक्त परिवार की आय से पैदा की हुई है। इस कारण प्रतिवादी सं. 3 का भी हक हिस्सा निहित है। चूंकि अब उक्त संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तो वादी व प्रतिवादीगण ने अर्जीदावा में स्वयं के नाम के अलावा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि का पारिवारिक समझौता कर लिया है। मुताबिक घराघरू विभाजन में चक 2 आरआरडब्ल्यू खाता सं. 106/71 में 4.807 है. में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 13185/88125 है. व इसी चक के खाता सं. 206/191 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.783 है. भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को बय हिस्सा बराबर प्राप्त हुई है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि अभी तक मुताबिक घराघरू बंटवारा के अंकन नहीं होने से वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए वादी अपने हक हिस्सा की भूमि की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

यह है कि शामिल खाता भूमि होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 3 का हमेशा सीवबंट का विवाद बना रहता है चूंकि अब वादी संयुक्त खातेदारान के साथ खाता नहीं रखना चाहता है अतः अच्छीमंदी हिसाब व कब्जाकाश्त अनुसार अलग खाता करवाने का अधिकारी है।

यह है कि वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हिस्सा दुरुस्त करवा ले व वादी के हिस्सा व कब्जाकाश्त भूमि वादी के नाम दर्ज करवाकर अलग अलग खाता विभाजन करवा ले तो पहले वे टालमटोल करते रहे बाद में स्पष्ट इनकार हो गय बस यही वाद का कारण हैं

≈ वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1, 2, 5, की ओर से अधिवक्ता कुलदीप सरां ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 4 की तरफ से अधिवक्ता भीम खिलेरी ने वकालतनामा पेश किया। वादी प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर प्रतिवादी सं. 3, 6 ता 18 को वाद शीर्षक से विलोपित किया गया। वादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 7.3.2024 स्वीकार होने पर चक 2 आरआरडब्ल्यू खाता सं. 237/24 में दर्ज रकबा 0.759 है. को हस्तगत दावा में शामिल किया गया। वादी प्रार्थना पत्र दिनांक 7.03.2024 जिसमें निवेदन किया कि खाता सं. 106/71 में अनुतोष घोषणा की हद तक विभाजन अनुतोष प्राप्त नहीं करना चाहता है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 3, 6 ता 18 का नाम विलोपित किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 2, 4, 5 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली में राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात विरचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अतएव पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पक्षकारान उभयपक्ष द्वारा पेश राजीनामा का अवलोकन करने पर न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद या विरोधाभास नहीं है इसलिए वादी वाद मुताबिक राजीनामा, स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

अतः वादी वाद मुताबिक राजीनामा के अंतिम डिक्री किया जाता है कि:— चक 2 आर. आर.डब्ल्यू के खाता सं. 106/71 की भूमि को विभाजन की हद तक छोड़कर शेष इसी चक के खाता सं. 205/192, 206/191, तथा 237/24 की कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 2,

4, 5 को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है— (क) वादी यादवेन्द्र सिंह का हिस्सा 1898/9994 व प्रतिवादी सं. 4 गुरवीर सिंह का हिस्सा 8096/9994 चक 2 आर.आर. डब्ल्यू. प.न. 138/234 मु.न. 83 किला नं. 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.165, 5/2/0.063, 5/3/0.025, 6/1/0.190, 6/2/0.038, 6/3/0.025, 7, 8, 14/1/0.228, 14/2/0.025, 15/1/0.164, 15/2/0.051, 15/3/0.038, 16/1/0.190, 16/2/0.038, 16/3/0.025, 17, 24 25/1/0.190, 25/2/0.038, 25/3/0.025 प.न. 140/233 मु.न 76 किला नं. 11, 21 प. न. 139/233 मु.न 77 किला नं. 2 ता 8, 10 ता 25 प.न. 138/233 मु.न 78 किला नं. 19/0.127, 22 कुल 9.994 है. कृषि भूमि मय गै.मुमकिन।

(ख) प्रतिवादी सं. 2 राजेन्द्र सिंह का हिस्सा 8728/17836 व प्रतिवादी सं. 5 मनदीप सिंह का हिस्सा 8096/17836 व वादी यादवेन्द्र सिंह का हिस्सा 1012/17836 चक 2 आर.आर.डब्ल्यू. प.न. 138/233 मु.न. 78 किला नं. 6/1/0.190, 6/2/0.038, 6/3/0.025, 7, 8, 11 ता 14, 15/1/0.190, 15/2/0.038, 15/3/0.025, 16/1/0.190, 16/2/0.038, 16/3/0.025, 17, 18 19/.126, 20, 23, 24, 25/1/0.190, 25/2/0.038, 25/3/0.025 है. प.न. 139/234 मु.न 84 किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/.228, 5/2/0.025, 6 ता 25 प.न. 140/234 मु.न 85 किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 8 ता13, 18 ता 23 प.न. 139/235 मु.न 91 किला नं. 1 ता 3, 9 प.न. 140/235 मु.न. 90 किला नं. 1 ता 3, प.न. 137/234 मु.न. 82 किला नं. 12 ता 14ख 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 19, 23, 24 कुल 17.836 है. कृषि भूमि मय गैर मुमकिन।

(ग) वादी यादवेन्द्र सिंह का हिस्सा 1695/5087, प्रतिवादी सं. 2 राजेन्द्र सिंह का हिस्सा 3392/5087 चक 2 आर.आर.डब्ल्यू. प.न. 139/225 मु.न. 6 किला नं. 14, 15/1/0.215, 16/1/0.215, 17 ता 24, 25/1/0.215 प.न. 139/226 मु.न 15 किला नं. 1/1/0.228, 2/1/0.228, 3/1/0.228, 4/1/0.228, 5/1/0.190, 6/1/0.152, 7 ता 9, 10/1/0.152 कुल 5.087 है. कृषि भूमि मय गै.मु.। उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 2, 4, 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खाता सं. 106/71 में वर्णित आराजी में घोषणात्मक की हद तक (खाता यथावत रहे) प्रतिवादी सं. 1 हरपाल कौर के नाम दर्ज भूमि 3/19 का प्रतिवादी सं 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार उक्त खाता सं. 106/71 से प्रतिवादी सं. 1 हरपाल कौर का नाम कलमजन किया जावे। उक्त बिंदुवार खाता 106/71 को छोड़कर उक्त खाते अलग कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन राजस्व मण्डल अजमेर या अन्य न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोट: प्रश्नगत रकबा रहन हो तो, बाद रहन मुक्त के निर्णय की पालना की जावे।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:-(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्या:-389/2021

यादवेन्द्र सिंह पुत्र पटेल सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील हनुमानगढ हाल
आबाद 14414 Brorad Vingdr Ginsville VA 20155 5932 USA

- वादी

बनाम्

1. हरपाल कौर पत्नी पटेल सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील हनुमानगढ हाल
आबाद 7225 winnipeg CT Gainesville VA 20155 5932 USA
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र पटेल सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील हनुमानगढ हाल
आबाद 7225 winnipeg CT Gainesville VA 20155 5932 USA
3. प्रिंसकौर पुत्री पटेल सिंह पत्नी अरमिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी किलयांवाली
तहसील अबोहर जिला फाजिल्का
4. गुरवीर सिंह पुत्र यादवेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील हनुमानगढ हाल
आबाद 14414 Brorad Vingdr Ginsville VA 20155 5932 USA
5. मनदीप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील हनुमानगढ हाल
आबाद 7225 winnipeg CT Gainesville VA 20155 5932 USA
6. कर्णवीर सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील व जिला
हनुमानगढ।
7. केसर बाई पत्नी दयालचंद जाति राजपूत निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. कालाराम उर्फ रवि कुमार पुत्र रेमलराम जाति राजपूत निवासी नवां तहसील व जिला
हनुमानगढ।
9. काली पत्नी संतोष कुमार पुत्री रेमलराम जाति राजपूत निवासी 3 जेजे तहसील
पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर
10. खेमचंद पुत्र रेमल जाति राजपूत निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ।
11. बंती पत्नी चन्द्रभान जाति राजपूत निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ।
12. महेन्द्र पुत्र रेमल जाति राजपूत निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ।
13. राधादेवी पत्नी महावीर पुत्री रेमलराम जाति राजपूत निवासी वार्ड39 हनुमानगढ जंक्शन
14. रानीबाई पुत्री रेमलराम जाति राजपूत निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ।
15. सुखदेव सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील व जिला
हनुमानगढ।
16. समारीदेवी पुत्री रेमलराम जाति राजपूत निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ।
17. संतोष पुत्र रेमलराम जाति राजपूत निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ।
18. ओबीसी बैंक शाखा हनुमानगढ बस स्टैंड
19. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 53, 88, 188 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
रुबरू हमारे बहाजरी श्री सुरेन्द्र सिहाग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप सरां
अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2, 5 एवं श्री भीम खिलेरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4 मिन जानिब
मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:- चक 2 आर.आर.डब्ल्यू के
खाता सं. 106/71 की भूमि को विभाजन की हद तक छोड़कर शेष इसी चक के खाता सं.
205/192, 206/191, तथा 237/24 की कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 2, 4, 5 को
निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है- (क) वादी यादवेन्द्र सिंह का हिस्सा
1898/9994 व प्रतिवादी सं. 4 गुरवीर सिंह का हिस्सा 8096/9994 चक 2 आर.आर.डब्ल्यू
प.न. 138/234 मु.न. 83 किला नं. 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025,

4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.165, 5/2/0.063, 5/3/0.025, 6/1/0.190, 6/2/0.038, 6/3/0.025, 7, 8, 14/1/0.228, 14/2/0.025, 15/1/0.164, 15/2/0.051, 15/3/0.038, 16/1/0.190, 16/2/0.038, 16/3/0.025, 17, 24 25/1/0.190, 25/2/0.038, 25/3/0.025 प.न. 140/233 मु.न 76 किला नं. 11, 21 प. न. 139/233 मु.न 77 किला नं. 2 ता 8, 10 ता 25 प.न. 138/233 मु.न 78 किला नं. 19/0.127, 22 कुल 9.994 है. कृषि भूमि मय गै.मुमकिन।

(ख) प्रतिवादी सं. 2 राजेन्द्र सिंह का हिस्सा 8728/17836 व प्रतिवादी सं. 5 मनदीप सिंह का हिस्सा 8096/17836 व वादी यादवेन्द्र सिंह का हिस्सा 1012/17836 चक 2 आर.आर.डब्ल्यू. प.न. 138/233 मु.न. 78 किला नं. 6/1/0.190, 6/2/0.038, 6/3/0.025, 7, 8, 11 ता 14, 15/1/0.190, 15/2/0.038, 15/3/0.025, 16/1/0.190, 16/2/0.038, 16/3/0.025, 17, 18 19/.126, 20, 23, 24, 25/1/0.190, 25/2/0.038, 25/3/0.025 है. प.न. 139/234 मु.न 84 किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/.228, 5/2/0.025, 6 ता 25 प.न. 140/234 मु.न 85 किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 8 ता13, 18 ता 23 प.न. 139/235 मु.न 91 किला नं. 1 ता 3, 9 प.न. 140/235 मु.न. 90 किला नं. 1 ता 3, प.न. 137/234 मु.न. 82 किला नं. 12 ता 14ख 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 19, 23, 24 कुल 17.836 है. कृषि भूमि मय गैर मुमकिन।

(ग) वादी यादवेन्द्र सिंह का हिस्सा 1695/5087, प्रतिवादी सं. 2 राजेन्द्र सिंह का हिस्सा 3392/5087 चक 2 आर.आर.डब्ल्यू. प.न. 139/225 मु.न. 6 किला नं. 14, 15/1/0.215, 16/1/0.215, 17 ता 24, 25/1/0.215 प.न. 139/226 मु.न 15 किला नं. 1/1/0.228, 2/1/0.228, 3/1/0.228, 4/1/0.228, 5/1/0.190, 6/1/0.152, 7 ता 9, 10/1/0.152 कुल 5.087 है. कृषि भूमि मय गै.मु.। उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 2, 4, 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता सं. 106/71 में वर्णित आराजी में घोषणात्मक की हद तक (खाता यथावत रहे) प्रतिवादी सं. 1 हरपाल कौर के नाम दर्ज भूमि 3/19 का प्रतिवादी सं 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार उक्त खाता सं. 106/71 से प्रतिवादी सं. 1 हरपाल कौर का नाम कलमजन किया जावे। उक्त बिंदुवार खाता 106/71 को छोड़कर उक्त खाते अलग कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन राजस्व मण्डल अजमेर या अन्य न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांकको जारी किया गया।
नोट:- डिक्रीत आराजी रहन हो तो, बाद रहन मुक्त के ही डिक्री का निष्पादन किया जावे।

(दिव्या)RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ